



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237867
CG-DL-E-03082022-237867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3458]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944

No. 3458]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का.आ. 3624(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के 0.000 कि.मी. से 34.000 कि.मी. तक के भू-खण्ड (पटना-गया-डोभी सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीजीशन अफसर गया पटना को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 34.00 तक (पटना-गया-डोभी खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: पटना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धनरुआ					
गांव का नाम: बरनी					
1	2300	निजी	कृषि	0.0081000(हेक्टेयर)	0.0081000
गांव का नाम: नदवां					
1	1845	निजी	कृषि	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
तालुक का नाम: पुनपुन					
गांव का नाम: डुमरी					
1	1040/4520	निजी	कृषि	0.0560000(हेक्टेयर)	0.0560000
2	1068	निजी	कृषि	0.1295000(हेक्टेयर)	0.1295000
कुल				0.1987	0.1987

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO-II/11019/3/2007/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2022

S.O. 3624(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 83, in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 34.00 (Patna- Gaya- Dobhi Section) in the District of **Patna** in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, **Patna** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objects and after

making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under the notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from km. 0.00 to km. 34.00 (Patna-Gaya-Dobhi Section) of the National Highway No. 83 in the State of Bihar.

State: BIHAR		District: PATNA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dhanarua					
Village: Barni					
1	2300	Private	Agriculture	0.0081000(Hectare)	0.0081000
Village: Nadwan					
1	1845	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
Taluk: Punpun					
Village: Dumri					
1	1040/4520	Private	Agriculture	0.0560000(Hectare)	0.0560000
2	1068	Private	Agriculture	0.1295000(Hectare)	0.1295000
Total				0.1987	0.1987

[F. No. NHAI/BOT/DBFO-II/11019/3/2007/3A]

RAJESH GUPTA, Director